"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 610] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2014—— अग्रहायण 4, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1—102/2014/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

नियम 3 के उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2) वार्डों की रचना, यथासाध्य, इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, पूरे नगर के सभी वार्डों में एक जैसी हो तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र, संहत क्षेत्र हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप—सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1–102/2014/18.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–102/2014/18 दिनांक 25–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 25th November 2014

NOTIFICATION

No F-1-102/2014/18.– In exercise of the powers conferred by section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), The Government of Chhattisgarh makes the following amendments in the Chhattisgarh Municipal (Extent of Wards) Rules, 1994, Namely :-

AMENDMENT

In the said rule ,-

For Sub-rule (2) of Rule 3, the following shall be substituted, namely :-

"(2) The formation of wards, as far as practicable shall be made in such a way that the population of each of the wards be the same in all wards throughout the city and the area included in the wards be a compact area."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.